"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2012—श्रावण 26, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2010/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

शीर्षक "पचास-महिला एवं बाल विकास विभाग" के अंतर्गत, भाग-(आ) शीर्षक "विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम" में, सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 1-1/2010/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2010/1/एक, दिनांक 16-8-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 16th August 2012

NOTIFICATION

No. F 1-1/2010/1/One.— In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to make the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the Schedule of the said rules,—

Under the main heading "L-Women and Child Development Department", in part (B) bearing the heading "Acts and Rules administered by the Department", for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"1. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.